कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

<u>प्रेस नोट</u>

दिनांक 10.10.2021

थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला व हत्या के प्रयास मे थाना कोतवाली मे वांछित अभियुक्त राकेश कुमार उपाध्याय गिरफ्तार व एक अदद पिस्टल .32 बोर व 4 जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद

पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान देशी शराब की दूकान सरैया बाजार के सामने खडे एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने का प्रयास करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा पिस्टल निकाल कर सामने से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया व फायर करने के पश्चात तुरन्त भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए व अपने आप को बचते बचाते हुए, फायर करने वाले व्यक्ति/अभियुक्त राकेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 पारसनाथ उपाध्याय निवासी मुकीमगंज थाना आदमपुर वाराणसी को मोहल्ला सरैया से दिनांक 09.10.21 को समय 20.27 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल .32 बोर व 4 जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा में मु0अ0सं0 217/21 धारा 307,411 भादवि व मु0अ0सं0 218/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ करने पर अभियुक्त राकेश कुमार उपाध्याय द्वारा बताया गया कि मार्च 2020 में विजय उर्फ बीजू यादव निवासी बम्हाघाट थाना कोतवाली वाराणसी को जान से मारने के लिए 03 व्यक्तियों द्वारा मुझे तीन लाख रुपये सुपारी दिया गया था। जिसमें मै और मेरे साथी बबलू गुप्ता उर्फ ओमप्रकाश नि0 मुकीमगंज थाना आदमपुरा वाराणसी द्वारा विजय उर्फ बीजू यादव को गोली मारी गई थी। तत्पश्चात सुपारी के पैसे में से एक लाख रुपये मुझे मिला था, पुलिस की गिरफ्तारी के डर से मै पेसे ले कर दिल्ली चला गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। दिनांक 06.10.21 को शेष दो लाख रुपये लेने के लिए मै पुनः वाराणसी आया था। दिनांक 09.10.21 को मेरा दोस्त बबलू गौड जो देशी शराब की दुकान सरैया में काम करता है, उससे कुछ पैसे लेने के लिए मै ठेके पर आया था। इसी दौरान आप लोग पहुँच गये, मुझे लगा कि आप लोग विजय उर्फ बीजू यादव को गोली मारने की घटना मे मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं इसलिए मैंने फायरिंग की।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. एक अदद पिस्टल .32 बोर व 4 जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस
2.एक मो0सा0 पल्सर 135 CC काले रंग नम्बर DL 9 SAE 9099

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

राकेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 पारसनाथ उपाध्याय निवासी मुकीमगंज थाना आदमपुर वाराणसी, उम्र करीब 42 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 42/20 धारा 307,504,506,120बी भा0द0वि0 थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
2. मु0अ0सं0 75/20 धारा भादवि 323,504,506 भादवि थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. मु0अ0स0 217/21 धारा 307,411 भादवि थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 218/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.उ0नि0 ईश्वर दयाल दूबे चौकी प्रभारी चौकी सरैया थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2.हे0का0 रमेश यादव थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3.का0 जयप्रताप भारती थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4.हे0का0 हरिशंकर पाल थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

2021/10/09 23:01